संशोधित समेकित पत्र

मध्यप्रदेश शासन
गृह (सी–अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल, 2014

क्रमांक एफ–35–279/2004/दो/सी–2

प्रति,

समस्त जिला दण्डाधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय :– पुराने एवं अप्रभावी दाण्डिक प्रकरणों के प्रत्याहरण के संबंध में नवीन दिशा–निर्देश।

––00––

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 23.04.2014 द्वारा उपर्युक्त विषय पर पूर्व में जारी परिपत्रों को अधिक्रमित करते हुए नवीन दिशा–निर्देश जारी किये गए थे। पुनः विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.04.2014 द्वारा मूल परिपत्र दिनांक 23.04.2014 में संशोधन जारी किये गये थे। पूर्वोक्त दोनों विभागीय परिपत्रों को समेकित करते हुए निम्नानुसार निर्देश एतद् द्वारा प्रसारित किये जाते हैं :–

1. पुराने एवं अप्रभावी दाण्डिक प्रकरणों के प्रत्याहरण पर विचार कर अनुशंसा करने हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार अधिकारियों की समिति गठित की जावे :–

1.	जिला दण्डाधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	जिला पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य
3.	जिला अभियोजन अधिकारी	–	सदस्य

समिति किसी भी विभाग से संबंधित प्रकरणों की वापसी पर विचार करते समय सहयोग हेतु संबंधित विभाग के जिला स्तर के अधिकारी को समिति में शामिल कर सकेगी।

2. संबंधित जिले के जिला अभियोजन अधिकारी विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की सूची आवश्यक जानकारी सहित एकत्र कर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे। जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत जानकारी प्रारूप (ए) में होगी।

3. समिति निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों का परीक्षण करेगी और परीक्षण उपरांत वापसी हेतु अनुशंसा करेगी अथवा सकारण प्रस्ताव को अमान्य कर सकेगी :–

1. मध्यप्रदेश पुलिस अधिनियम के प्रकरण।
2. सार्वजनिक जुआं अधिनियम के प्रकरण।
3. मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण।
4. मध्यप्रदेश माप एवं तौल अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण।

...2...

HL1

5. मोटरयान अधिनियम के प्रकरण।

6. भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनमें सजा और जुर्माना तीन वर्ष से अधिक का न हो ।

7. अन्य कानूनों के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनमें तीन वर्ष से अधिक का कारावास का दण्ड न हो।

8. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा–34 व 38 के आदिवासी/अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों के विरूद्व दर्ज ऐसे प्रकरण जिनमें 49 बल्क लीटर तक की अवैध शराब की जप्ती की गयी है।

9. आर्म्स एक्ट की धारा 25(1) (बी) के अंतर्गत अधिकतम तीन वर्ष कारावास तथा जुर्माने से दण्डित होने वाले अपराध (आग्नेय अस्त्र के प्रकरणों को छोड़कर)।

4. समिति उन प्रकरणों के प्रत्याहरण के संबंध में विचार करेगी जो दिनांक 30.06.2011 अथवा उसके पूर्व से न्यायालय में लंबित हो। कमांक 1 से 7 तक के अंतर्गत उल्लेखित अधिनियमों के ऐसे प्रकरण जिनमें चार्जशीट दिनांक 30.06.2011 या उसके पूर्व फाइल की गयी हो और प्रथम सूचनाकर्ता, शिकायतकर्ता, आरोपी, साक्षियों अथवा अभियुक्त की अनुपलब्धता के कारण प्रकरण न्यायालय में लंबित हो, ऐसे ही पुराने एवं अप्रभावी, निरर्थक दाण्डिक प्रकरणों को वापिस लिये जाने पर समिति विचार करेगी।

5. निम्न विषयों से संबंधित प्रकरणों को प्रत्याहरित करने पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जावेगाः–

(क) भ्रष्टाचार, सार्वजनिक निधि का दुरूपयोग, आर्थिक अपराध से संबंधित भारतीय दण्ड संहिता एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या अन्य किसी विधि के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण।

(ख) तस्करी, विदेशी मुद्रा विनिमय संबंधी अपराध, नारकोटिक ड्रग्स से संबंधित आपराधिक प्ररकण एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेस एक्ट 1985 के अधीन दण्डनीय प्रकरण।

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अंतर्गत प्रचलित आपराधिक प्रकरण।

(घ) आर्म्स एक्ट 1959, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधि अधिनियम 1987 तथा पोटा के अंतर्गत दण्डनीय अपराधिक प्रकरण।

(च) लोक सेवकों से संबंधित आपराधिक प्रकरण।

(छ) सिक्कों तथा शासकीय स्टाम्प से संबंधित आपराधिक प्रकरण।

(ज़) गलत साक्ष्य प्रस्तुत करने से संबंधित प्रकरण तथा जन न्याय के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण।

HL2

(झ) राज्य के विरूद्ध अन्य प्रकार के आपराधिक प्रकरण।

(ट) टेक्स अधिनियमों के अधीन दण्डनीय आपराधिक प्रकरण।

(ठ) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए एवं 304 एए के अधीन दण्डनीय आपराधिक प्रकरण।

(ड) घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के अधीन दण्डनीय आपराधिक प्रकरण।

6. जिला दण्डाधिकारी प्रत्येक तीन माह में प्रकरणों के प्रत्याहरण करने के संबंध में विचार हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित करेंगे। विचार में लिये गये प्रत्येक प्रकरण के मामले में विवरण इस निर्देश के साथ संलग्न प्रारूप (बी) में साफ्ट एवं हार्ड कापी में संधारित किया जावेगा। प्रकरण को प्रत्याहरित करने की अथवा प्रत्याहरित नहीं करने की अनुशंसा प्रत्येक प्रकरण के मामले में सकारण अंकित की जावेगी। जिला दण्डाधिकारी बैठक के उपरांत हस्ताक्षरित अनुशंसा की जानकारी हार्ड कॉपी में संलग्न निर्धारित प्रारूप (सी) में गृह विभाग को अनिवार्यतः प्रेषित करेंगे और ई–मेल से सॉफ्ट कॉपी भी भेजना सुनिश्चित करेंगे।

7. प्रकरण प्रत्याहरण की अनुशंसा करते समय समिति का यह उत्तरदायित्व होगा कि यह सुनिश्चित कर लें कि प्रकरण प्रत्याहरण के फलस्वरूप राज्य शासन पर भविष्य में विद्वेषपूर्ण अभियोजन का प्रकरण न बनता हो।

8. यदि प्रकरणों की संख्या अधिक हो तो समिति के सदस्यों की सहायता के लिये एक प्रकोष्ठ का गठन किया जा सकता है जो कि प्रारम्भिक कार्य कर समिति के समक्ष जानकारी रख सके ताकि छानबीन का कार्य शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सके।

9. समिति द्वारा विचारोपरान्त प्रत्याहरण के लिये अनुशंसित प्रकरणों के बारे में समिति के अध्यक्ष जिला दण्डाधिकारी संबंधित अभियोजन अधिकारी को प्रत्याहरण की कार्यवाही के लिये आदेश जारी करेंगे। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रकरण के प्रत्याहरण हेतु न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

10. समिति की प्रथम बैठक अनिवार्यतः 31 मई, 2014 के पूर्व आयोजित की जावे, और प्रथम प्रतिवेदन 30 जून, 2014 के पूर्व शासन को भेजा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

26.4.14

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)
उप सचिव
म0प्र0 शासन, गृह विभाग

पृ0क0 एफ–35–279/2004/दो/सी–2 भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल, 2014

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, विंध्याचल भवन, भोपाल।
2. संचालक, लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. सचिव, म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574 साउथ सिविल लाइन, जबलपुर, म0प्र0।
4. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
6. अति0 पुलिस महानिदेशक, सीआईडी/पुलिस महानिरीक्षक, समस्त झोन।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

26.4.14

उप सचिव

म0प्र0 शासन, गृह विभाग

HL4

प्रारूप (ए)

जिला ....

स.क्र.	प्रकरण कमांक	न्यायालय का नाम	प्रकरण की श्रेणी	आरोप पत्र दायर करने का दिनांक	क्या अभियुक्त/साक्षी उपस्थित हुए है		क्या आरोप निर्धारित हो चुका है ?	आरोप निर्धारण का दिनांक	अभियुक्त/साक्षी की अनुपस्थिति के कारण लंबित कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रकरण कब से लंबित है
					हॉ/नहीं	यदि हॉ तो अंतिम उपस्थिति का दिनांक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

जिला स्तरीय रजिस्टर का प्रारूप (बी)

जिला ....

बैठक दिनांक ....

स.क.	अधिनियम, प्रकरण कमांक एवं धारा	पक्षकार का विवरण	न्यायालय का नाम	आरोप पत्र दायर करने का दिनांक	प्रकरण कब से लंबित है दिनांक	प्रकरण वापसी के संबंध में समिति का मत	अनुशंसा किये जाने की स्थिति में कारण	अनुशंसा नहीं किये जाने की स्थिति में कारण	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

राज्य स्तर पर रिपोटिंग हेतु प्रारूप (सी)

स.क.	जिले का नाम	समिति की बैठक का दिनांक	अधिनियम जिसके अंतर्गत दण्डनीय प्रकरणों पर विचार किया गया	विचार में लिये गये प्रकरणों की संख्या	वापसी हेतु अनुशंसित प्रकरणों की संख्या	वापसी योग्य न पाये गये प्रकरणों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8